

कार्यालय जिला पंचायत राज अधिकारी, पिथौरागढ़।

पत्रांक : 063/पं.रा.वि./जि.यो./क्षे.प्र.वि.स्वी./2024-25 दिनांक : 30/09/2024.

कार्यालय ज्ञाप।

जिलाधिकारी कार्यालय के पत्र संख्या : 203/जि.यो.24-प्र.वि.स्वी./2024-25 दिनांक : 27 जुलाई, 2024 (छाया प्रति संलग्न) के क्रम में जिला योजना समिति द्वारा वर्ष 2024-25 में सी.सी. मार्ग एवं बटिया निर्माण मद के अंतर्गत अनुमोदित परिषद से प्रथम किस्त की धनराशि वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति सहित आवंटित हुई है। क्षेत्र पंचायत/(विकास खण्ड) कनालीछीना/गंगोलीहाट/बेरीनाग को जिन कार्यों हेतु कार्यदायी संस्था बनाया गया है उन कार्यों हेतु तालिका के कॉलम 10 के सापेक्ष कॉलम 14 की धनराशि संबंधित विकास खण्ड कार्यालय द्वारा पूर्व में उपलब्ध कराये गये बैंक खाते में आर.टी.जी.एस. द्वारा हस्तांतरित की जा चुकी है। जिला योजना की अवशेष धनराशि आवंटन प्राप्त होने के पश्चात् कार्यदायी संस्था द्वारा उपयोगिता प्रमाण पत्र/अन्य वांछित अभिलेख उपलब्ध कराने के बाद हस्तांतरित करने की कार्यवाही की जायेगी।

S/N	योजनाओं का नाम	वि.ख.	कार्य संस्था	कार्य स्वीकृति का वर्ष	कार्य की लागत (लाख ₹ में)	कार्य हेतु अनुमोदित धनराशि (लाख ₹ में)				कार्य हेतु हस्ता प्रथम किस्त की धनराशि (लाख ₹ में)				अवशेष धनराशि (लाख ₹ में)
						सामान्य (007)	एस.सी. एस.पी (030)	टी.एस.पी (031)	योग	सामान्य (007)	एस.सी. एस.पी (030)	टी.एस.पी (031)	योग	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	नरैत से पतगोंव तक संपर्क सी.सी.मार्ग	KAN	VK	24-25	3.00	3.00	0.00	0.00	3.00	2.00	0.00	0.00	2.00	1.00
2	ग्रा.प.गुर्जिया के तोक बितडी तक संपर्क सी.सी.मार्ग	KAN	VK	24-25	3.00	3.00	0.00	0.00	3.00	2.00	0.00	0.00	2.00	1.00
3	ग्रा.प.नरैत के अजा बस्ती के गौनीगाड में संपर्क सी.सी.मार्ग (एससीपी)	KAN	VK	24-25	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	2.00	0.00	2.00	1.00
4	अमोन बैड से आवलाघाट मोटर मार्ग में पाली से सिमलकुडा सी.सी.संपर्क मार्ग	GGT	VK	24-25	4.00	4.00	0.00	0.00	4.00	3.00	0.00	0.00	3.00	1.00
5	अजा बस्ती टुपरोली में आंतरिक सी.सी.संपर्क मार्ग (एससीपी)	GGT	VK	24-25	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	2.00	0.00	2.00	1.00
6	ग्रा.प.नगौर में रीढागट से चौडमन्या इंटर कॉलेज सी.सी.मार्ग	BNG	VK	24-25	3.00	3.00	0.00	0.00	3.00	2.00	0.00	0.00	2.00	1.00
7	चरुजा सी.सी.मार्ग धर्ष (एससीपी)	BNG	VK	24-25	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	2.00	0.00	2.00	1.00
योग					22.00	13.00	9.00	0.00	22.00	9.00	6.00	0.00	15.00	7.00

जिला योजना वर्ष 2024-25 में अनुमोदित उक्त कार्यों के संपादन हेतु खण्ड विकास अधिकारी-कनालीछीना/गंगोलीहाट/बेरीनाग द्वारा उपलब्ध कराये गये आगणनों के अनुसार अनुमोदित कार्यों हेतु मुख्य सचिव उत्तराखण्ड शासन के आदेश सं.: 624 दि.: 24.03.2008 व सचिव,रा.यो.ओ. नियोजन विभाग उत्तराखण्ड शासन के अ.शा.पत्र संख्या : 501 दि.: 08अप्रैल,2024 एवं अपर सचिव, वित्त उत्तराखण्ड शासन के आदेश संख्या : 2185631 दिनांक : 20जून,2024.में निहित प्राविधानों के अनुसार निम्न शर्तों व प्रतिबंधों के अनुसार व्यय की जायेगी।

- 1-उक्त धनराशि का व्यय जिला योजना समिति द्वारा वर्ष 2024-25 हेतु स्वीकृत कार्यों पर ही किया जाये। व्यय केवल उन्हीं योजनाओं के अंतर्गत किया जाये, जिनके लिये यह स्वीकृति जारी की जा रही है तथा जिन योजनाओं की स्वीकृति प्राप्त है। धनराशि का अन्यत्र विचलन की दशा में खण्ड विकास अधिकारी-कनालीछीना/गंगोलीहाट/बेरीनाग व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।
- 2-उक्त व्यय में बजट मैन्युअल वित्तीय हस्त पुस्तिका टैण्डर/कोटेशन विषयक नियम तथा शासन द्वारा मितव्ययता के विषय में समय-समय पर जारी आदेशों का पालन किया जाये।
- 3-स्वीकृत धनराशि के अंतर्गत ही व्यय किया जायेगा, व्याधिव्यय किसी भी दशा में नहीं किया जायेगा।
- 4-जिन कार्यों का प्राविधान स्वीकृत विस्तृत आगणन में नहीं है उन कार्यों पर न तो कोई व्यय किया जाये और न ही कोई वित्तीय वायदा किया जाये।
- 5-उक्त धनराशि का व्यय मानकों के आधार पर ही किया जायेगा तथा योजनाओं की वित्तीय व गौतिक प्रगति का विवरण शासन को प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध कराया जायेगा। कार्य की गुणवत्ता हेतु कार्यदायी संस्था के अधिकारी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।
- 6-प्रश्नगत कार्यों के विस्तृत आगणन पर सक्षम अधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति निर्गत करने के उपरांत कार्य प्रारंभ किये जायेगे एवं तत्पश्चात् ही उन कार्यों पर व्यय किया जायेगा।
- 7-इस संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याशा में किसी प्रकार का अनाधिकृत व्यय न किया जाये। धनराशि का व्यय एवं आहरण आवश्यकतानुसार ही किया जाये।
- 8-उक्त धनराशि का व्यय जिला योजना समिति द्वारा अनुमोदित कार्यों हेतु अनुमोदित लागत सीमा में निर्धारित/आवंटित परिषद के अंतर्गत ही किया जाये।

PTO

*(Handwritten Signature)*  
 जिला पंचायत राज अधिकारी  
 पिथौरागढ़